(21)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,

झाँसी

कार्य परिषद् की बैठक

दिनांक 17.03.2020

की कार्यवाही

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

दिनांक 17.03.2020 को मध्याह्न 12:00 आयोजित कार्य परिषद् की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति –

1. प्रो. जे. वी. वैशम्पायन	–	कुलपति / अध्यक्ष
2. प्रो. हरीभाउ गोपीनाथ खांडेकर	–	कुलाधिपति नामित सदस्य
3. डा. विजय खैरा	–	कुलाधिपति नामित सदस्य
4. डॉ. डी. वी. सरदेसाई	–	कुलाधिपति नामित सदस्य
5. प्रो. एस. पी. सिंह	–	सदस्य
6. प्रो. एम. एम. सिंह	–	सदस्य
7. प्रो. आर. के. सैनी	–	सदस्य
8. डा. साधना कौशिक	–	सदस्य
9. डा. एन. एल. शुक्ला	–	सदस्य
10. डा. एस. आर. रजक	–	सदस्य
11. डा. सुशील बाबू	–	सदस्य
12. डा. वी. के. सिंह	–	सदस्य
13. डा. पुनीत बिसारिया	–	सदस्य
14. डा. महेन्द्र सिंह	–	सदस्य
15. डा. निर्मला शर्मा	–	सदस्य
16. डा. आरती पाण्डेय	–	सदस्य
17. श्री आर. के. बिन्द	–	वित्त अधिकारी
18. श्री नारायण प्रसाद	–	कुलसचिव / सचिव

कार्यवाही –

सर्वप्रथम कुलपति ने परिषद् में चक्रानुक्रम में आगन्तुक नये सदस्यों (प्रो. एम. एम. सिंह, डा. पुनीत बिसारिया, डा. वी. के. सिंह, डा. निर्मला शर्मा, डा. आरती पाण्डेय) का परिचयोपरान्त स्वागत किया गया तथा कार्यकाल समाप्त होने वाले सदस्यों (प्रो. शिव कुमार कटियार, डा. मुन्ना तिवारी, डा. आलोक वर्मा, डा. तारेश भाटिया, डा. अरूणकांत शुक्ला) के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

1. **कार्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 20.09.2019 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 20.11.2019 की कार्यवाहियों की सम्पुष्टि पर विचार।**

   परिषद् द्वारा अपनी पूर्व बैठक दिनांक 20.09.2019 की सर्वसम्मति से पुष्टि की। उपर्युक्त बैठक की अनुपूरक कार्य सूची के बिन्दु संख्या (3) पर लिये गये निर्णयानुसार श्री उमेश करौलिया – निलम्बित नैत्यिक सहायक के प्रकरण में सभी सदस्यों को दिनांक 18.03.2017 के प्रकरण में गठित तीन सदस्यीय (जस्टिम एस. सी. वर्मा, श्री जे. पी. सिंह, प्रो. पद्मकांत) की वाह्य समिति की आख्या तथा अनुशासन समिति की आख्या प्रेषित की गई थी। इस प्रकरण पर पिछली बैठक की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण के साथ ही विचार करने का निर्णय हुआ।

प्रारम्भ में कुलपति जी ने इस प्रकरण की सम्पूर्ण पृष्ठभूमि को परिषद् के सम्मुख रखा तथा इस सम्बन्ध में प्रारंम्भिक शिकायतकर्ता सुश्री पुष्पा गौतम से प्राप्त प्रत्यावेदन, विशेष जॉच समिति तथा अनुशासन समिति की जॉच आख्या पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात सभी सदस्यों के अभिमत आमंत्रित किये गये। सभी सदस्यों के अभिमत प्राप्त होने पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसहमति से निम्न निर्णय लिया गया कि निलम्बित कर्मचारी श्री उमेश करौलिया के सम्बन्ध मे जो अनुशासन समिति की आख्या प्राप्त हुई है उसके आधार पर दण्ड की मात्रा निर्धारित की जाये। इस सम्बन्ध में सर्व सम्मति से परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री उमेश करौलिया का विश्वविद्यालय से निलम्बन समाप्त करते हुये निम्न शर्तो पर पूर्व पद पर बहाल किया जाये –

1. श्री करौलिया को भविष्य में अपने अच्छे आचरण/व्यवहार का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. श्री करौलिया को निलम्बन अवधि का शेष बकाया भुगतान देय नहीं होगा।
3. श्री करौलिया को बहाल होने के पश्चात अगली वेतन वृद्धि आगामी तीन वर्ष बाद ही देय होगी वशर्ते उनका आचरण इस अवधि में संतोषजनक रहा हो।
4. श्री करौलिया को तीन वर्ष की अवधि तक किसी भी महत्वपूर्ण कार्य मे नहीं लगाया जायेगा।

इसके अतिरिक्त बहाली पर इनका वेतन निर्धारण निलम्बन अवधि की वेतन वृद्धि समायोजित करते हुये की जायेगी।

इस प्रकार इस प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।'

साथ ही पूर्व आकस्मिक बैठक दिनांक 20.11.2019 की कार्यवाही की भी सम्पुष्टि की गई।

2. **वित्त समिति की बैठक 06.03.2020 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.03.2020 की कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

3. **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16.03.2020 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16.03.2020 की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

4. **सम्बद्धता समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 26.02.2020 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

परिषद् द्वारा सम्बद्धता समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 26.02.2020 की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 12.14 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निरीक्षण मण्डल गठित किये जाने का अधिकार कार्य परिषद् को है जो कि व्यवहारिक नहीं है। इसलिये निरीक्षण मण्डल गठित करने हेतु कार्य परिषद् द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किये जाने तथा कुलपति जी द्वारा सम्बद्धता हेतु जो भी निरीक्षण मण्डल गठित किये जा चुके है उन्हें भी परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

5. **श्रीमती नन्दा सिंह, कार्यालय अधीक्षक को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, पत्रांक – बु0वि0/ प्रशा0/ 2019/ 1048–53 दिनांक 27.05.2019 के द्वारा संतोषजनक परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 09.08.2019 से कार्यालय अधीक्षक पद पर स्थायी किया गया। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा श्रीमती नन्दा सिंह, कार्यालय अधीक्षक को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, पत्रांक –बु0वि0/ प्रशा0/ 2019/ 1048–53 दिनांक 27.05.2019 के द्वारा संतोषजनक परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 09.08.2019 से कार्यालय अधीक्षक पद पर स्थायी किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
इसके अतिरिक्त श्री महेश चन्द्र मिश्रा – कार्यालय अधीक्षक एवं श्री संतोष कुमार सिंह – कार्यालय अधीक्षक को भी बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या -- बु.वि./ प्रशा./ 2019/1191–98 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा संतोषजनक परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 15.02.2019 से कार्यालय अधीक्षक पद पर स्थायी किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. **श्री सरोज कुमार, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), विधि विभाग को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2019/3804–09 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा एक वर्ष के अन्तरिम रूप (Provisionally) अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई, उक्त पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा श्री सरोज कुमार, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), विधि विभाग को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–बु0वि0/प्रशा0/2019/3804–09 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा एक वर्ष के अन्तरिम रूप (Provisionally) अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. **डा. जितेन्द्र प्रताप, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2019/3872–77 दिनांक 19.10.2019 के द्वारा एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई । उक्त पत्र परिषद् समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा डा. जितेन्द्र प्रताप, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2019/3872–77 दिनांक 19.10.2019 के द्वारा एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश हेतु दी गई स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

8. **प्रो. पूनम पुरी, आचार्य, व्यापार प्रशासन विभाग को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./ प्रशा./ 2019/ 4259–64 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा 187 दिवसों के अर्द्धवेतन अवकाश स्वीकृत किया गया। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदन प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा प्रो. पूनम पुरी, आचार्य, व्यापार प्रशासन विभाग को विश्वविद्यालय को पत्र संख्या बु.वि./ प्रशा./ 2019/ 4259–64 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा 187 दिवसों के स्वीकृत अर्द्धवेतन अवकाश का अनुमोदन किया गया।

9. **डा. श्रीहरि त्रिपाठी, सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग को विश्वविद्यालय के पत्रांक बु.वि./प्रशा./2019/4265–70 दिनांक 08.11.2019 के द्वारा अवैतनिक असाधारण अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 08.11.2019 से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा डा. श्रीहरि त्रिपाठी, सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग को विश्वविद्यालय के पत्रांक बु.वि./प्रशा./2019/4265–70 दिनांक 08.11.2019 के द्वारा अवैतनिक असाधारण अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 08.11.2019 से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति को अनुमोदित किया गया।

10. **श्री सुर्मेश कुमार मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक (एस.एफ.एस.) को विधिक परामर्श के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना में पुनः सेवा में लेने हेतु प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।**

श्री सुर्मेश कुमार मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक (एस.एफ.एस.) के प्रकरण पर परिषद् को अवगत कराया गया कि श्री मिश्रा के निलम्बन के सम्बन्ध में कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है और न ही कोई विभागीय कार्यवाही की गई है और न ही श्री सुर्मेश कुमार मिश्रा को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया गया है। इनका प्रकरण पारिवारिक विवाद के फलस्वरूप पत्नी की मृत्यु का है तथा प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त की गई जिसके अनुसार न्यायहित में श्री सुर्मेश कुमार मिश्रा को विश्वविद्यालय की सेवा में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उनके पूर्व पद 'प्रयोगशाला सहायक' पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दिये जाने का अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि श्री मिश्रा के प्रकरण पर भविष्य में न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

11. **श्री अनिल कुमार झरबड़े, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), शारीरिक शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2020/5793–98 दिनांक 14.02.2020 के द्वारा एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा श्री अनिल कुमार झरबड़े, सहायक आचार्य (एस.एफ.एस.), शारीरिक शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या बु.वि./प्रशा./2020/5793–98 दिनांक 14.02.2020 के द्वारा स्वीकृत एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश का अनुमोदन किया गया।

12. **बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग की वेतन विसंगति तथा पदोन्नति प्रकिया को नियमावली/शासनादेशों के अनुरूप विचार किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 24.02.2020 की कार्यवाही परिषद् के समक्ष अवलोनार्थ प्रस्तुत।**

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग की वेतन विसंगति तथा पदोन्नति प्रकिया को नियमावली/शासनादेशों के अनुरूप विचार किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 24.02.2020 की कार्यवाही का परिषद् द्वारा अनुमोदन करते हुये इसी अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश कुलसचिव को प्रदान किये गये।

13. **श्री दिनेश कुमार ने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी में शासनादेश नियुक्ति आदेश संख्या 02/2020/31/सत्तर–1–2020–15(4)/2011 दिनांक 29 जनवरी 2020 के अनुपालन में दिनांक 28.02.2020 को पूर्वाह्न में सहायक कुलसचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। परिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद् उपर्युक्त सूचना से अवगत हुई।

14. **श्री सावित्र वर्धन सिंह, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ, 2/22, त्रिवेणी नगर, सीतापुर रोड़, लखनऊ उ. प्र. को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या –बु0वि0/ विधिक/2019/747 दिनांक 24.10.2019 के द्वारा विश्वविद्यालय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में योजित वादों में विश्वविद्यालय की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया गया। उक्त पत्र परिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदन प्रस्तुत।**

परिषद् द्वारा श्री सावित्र वर्धन सिंह, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ, 2/22, त्रिवेणी नगर, सीतापुर रोड़, लखनऊ उ. प्र. को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या –बु0वि0/ विधिक/2019/747 दिनांक 24.10.2019 के द्वारा विश्वविद्यालय के विरूद्ध माननीय उच्च

न्यायालय,लखनऊ खण्डपीठ में योजित वादों में विश्वविद्यालय की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये जाने का अनुमोदन किया गया।

अनुपूरक सूची

1. शासन द्वारा विभिन्न बैठकों के माध्यम से विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयो को नैक मूल्यांकन कराये जाने हेतु निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है तथा समय समय महाविद्यालयो का नैक मूल्यांकन कराये जाने हेतु कार्यशाला के माध्यम से दिशा निर्देश भी प्रदान किये जाते रहे है परन्तु अथक प्रयासों के उपरान्त भी अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा नैक मूल्यांकन मे रूचि नहीं ली जा रही है। इसलिये अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे महाविद्यालयों का नवीन पाठयक्रमों मे अनापत्ति प्रदान किये जाने पर रोक लगाई गयी है जिनके द्वारा नैक मूल्यांकन नहीं कराया गया है। अतः बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पूर्व से संचालित महाविद्यालयों मे बिना नैक मूल्यांकन के नवीन पाठयक्रमों मे अनापत्ति प्रदान किये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रकरण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

   परिषद् ने उपर्युक्त से अवगत होते हुये निर्णय लिया कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पूर्व से संचालित महाविद्यालयों मे बिना नैक मूल्यांकन के नवीन पाठयक्रमों में अनापत्ति प्रदान किये जाने पर रोक लगा दी जाये। नैक मूल्यांकन होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जाये।

2. स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों मे प्राचार्य, तथा विभिन्न पाठयक्रमों में विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं की नियुक्ति हेतु शासनादेश संख्या 2443/ सत्तर –2 –2000 –2(85)/97 दिनांक 09 मई 2000 मे निम्नवत् व्यवस्था दी गयी –
   "स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों मे अध्यापकों के चयन के लिये विशेषज्ञों का नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा किये जायेगा। चयन का अनुमोदन विश्वविद्यालय से कराया जायेगा जिससे चयनित व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय मे भी उपलब्ध हो जायेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यपरिषद के अनुमोदन से प्रत्येक विषय के लिये विशेषज्ञों का पैनल बनायेंगे, जो तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगा।" अतः स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों एवं अनुदानित महाविद्यालयों मे संचालित स्ववित्त पोषित पाठयक्रमों मे प्रवक्ताओं की नियुक्ति हेतु विषय विशेषज्ञों के पैनल हेतु विश्वविद्यालय की वरिष्ठता सूची(महाविद्यालयों एवं परिसर) कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

   परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों एवं अनुदानित महाविद्यालयों मे संचालित स्ववित्त पोषित पाठयक्रमों मे प्रवक्ताओं की नियुक्ति हेतु विषय विशेषज्ञों के पैनल हेतु विश्वविद्यालय की वरिष्ठता सूची (महाविद्यालयों एवं परिसर) का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर जिन विषयों के विशेषज्ञ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है उन विषयों में अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षक विषय विशेषज्ञ के रूप में नामित करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता हैं।

3. प्रो. शिव कुमार कटियार – संकायाध्यक्ष, इंजीनियरिंग एवं परियोजना निदेशक– TEQIP-III द्वारा TEQIP-III के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।

   परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रो. शिव कुमार कटियार – संकायाध्यक्ष, इंजीनियरिंग एवं परियोजना निदेशक– TEQIP-III द्वारा TEQIP-III के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या TEQIP-III/SPIU/UP/Gen/2020 दिनांक 24.01.2020 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार आई ई टी की आय का 8 प्रतिशत निम्नलिखित चार कोषों में रखा जायेगा।

(i)	Corpus Fund	-	2%
(ii)	Faculty Development Fund	-	2%
(iii)	Equipment Replacement Fund	-	2%
(iv)	Maintenance fund	-	2%

15. अध्यक्ष की अनुमति से अन्द मद

1. **विभागाध्यक्ष, फार्मेसी विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा बी. फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थानों की संख्या 60 के स्थान पर 100 किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

   परिषद् के समक्ष उपर्युक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये परिषद् को अवगत कराया गया कि चूंकि फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया से विश्वविद्यालय में चल रहे बी. फार्मा पाठ्यक्रम में वर्तमान के 60 स्थानों को 100 किये जाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अतः परिषद् द्वारा बी. फार्मा पाठ्यक्रम में वर्तमान के 60 स्थानों को 100 किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

2. परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में शासन से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये जायें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

17-3-2020

(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

17/3/20

(प्रो. जे. वी. वैशम्पायन)
कुलपति